संख्या-40/2015/1393/पाँच-9-2015-9(178)/11

प्रेषक,

आलोक रंजन,
मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1- **समस्त जिलाधिकारी,**
उत्तर प्रदेश।

2- **समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,**
उत्तर प्रदेश।

3- **समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,**
उत्तर प्रदेश।

4- **समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक,**
उत्तर प्रदेश।

चिकित्सा अनुभाग-9 लखनऊ: दिनांक 16 अक्टूबर, 2015

विषय:-प्रदेश में सरकारी विद्यालयों/परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाली किशोरियों (कक्षा 6 से 12 तक) को नि:शुल्क सेनेटरी नैपकिन्स वितरण हेतु "किशोरी सुरक्षा योजना" के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक चिकित्सा अनुभाग-9, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या-410/पाँच-9-2014-9(178)/11, दिनांक 04 मार्च, 2014 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से "किशोरी सुरक्षा योजना" के सम्बन्ध में अवगत कराया गया है कि किशोरियों के स्वास्थ्य एवं सम्मान के लिये सुरक्षित माहवारी एवं व्यक्तिगत साफ-सफाई को ध्यान में रखते हुये सरकारी विद्यालयों/परिषदीय विद्यालयों में जाने वाली किशोरियों (कक्षा 6 से 12 तक) को नि:शुल्क सेनेटरी नैपकिन्स का वितरण किया जाना है। माहवारी के विषय से जुड़ी गलत धारणाओं व मिथकों को दूर करने के लिये किशोरियों को व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे में जानकारी दिया जाना भी अति महत्वपूर्ण है। लगभग 30 प्रतिशत किशोरियाँ बार-बार कपड़ों को धोकर इस्तेमाल करती हैं तथा उनको कपड़े को सुखाने तथा इसके रख-रखाव का सही ज्ञान नहीं होता है। किशोरियाँ (10 से 19 वर्ष) जो कि कुल जनसंख्या की लगभग 11 प्रतिशत होती है, में बढ़ती गतिशीलता (घूमने-फिरने की आजादी) और व्यक्तिगत सहजता के दृष्टिकोण से माहवारी स्वच्छता के विषय में जानकारी दिया जाना महत्वपूर्ण है। किशोर अवस्था में शरीर में हो रहे हार्मोन के बदलाव के कारण शारीरिक एवं मानसिक स्तर पर असर पड़ता है तथा उनके अन्दर तरह-तरह की जिज्ञासायें उत्पन्न होती हैं, जिसके बारे में वे संकोचवश सही जानकारी प्राप्त नहीं कर पाती हैं। माहवारी के दौरान स्कूलों में किशोरियों की उपस्थिति में कमी तथा स्कूल छोड़ देने जैसी समस्यायें आती हैं। एन0एफ0एच0एस0-3 सर्वे के अनुसार लगभग 40 प्रतिशत किशोरियाँ

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

कक्षा 7 के बाद स्कूल जाना छोड़ देती हैं। किशोरियों में माहवारी से उत्पन्न होने वाली समस्याओं का समाधान सही जानकारी देकर ही किया जा सकता है।

माहवारी के विषय में जुड़ी गलत धारणाओं व मिथकों को दूर करने तथा किशोरियों में माहवारी से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के निदान हेतु जानकारी दिया जाना तथा अच्छी गुणवत्ता के सेनेटरी नैपकिन्स उपलब्ध कराया जाना एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे कि उनकी गतिशीलता, व्यक्तिगत सहजता एवं उनका आत्मविश्वास बना रहे।

"किशोरी सुरक्षा योजना" उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों में लागू की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत सरकारी विद्यालयों/परिषदीय विद्यालयों में कक्षा 6 से कक्षा 12 तक की पढ़ने वाली किशोरियों (जिनको माहवारी प्रारम्भ हो गयी हो) को नि:शुल्क सेनेटरी नैपकिन्स के पैकेट वितरित किये जायेंगे तथा उन्हें व्यक्तिगत स्वच्छता, सेनेटरी नैपिकन्स का समुचित प्रयोग व निस्तारण तथा अन्य स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी प्रदान की जायेगी।

<u>योजना के उद्देश्य:-</u>

"किशोरी सुरक्षा योजना" के मुख्य उद्देश्य निम्नवत हैं:-

- प्रदेश में किशोरियों में माहवारी सम्बन्धी प्रचलित भ्रान्तियों को दूर कर उन्हें सही जानकारी उपलब्ध कराना।
- किशोरियों में आत्मविश्वास बढ़ाना, जिससे उनकी सामाजिक गतिविधियों में कोई अवरोध उत्पन्न न हो।
- सेनेटरी नैपकिन्स अथवा साफ सुथरे कपड़े के उपयोग की आदत को बढ़ावा देना, जिससे वे उसके महत्व का अनुभव करें तथा भविष्य में खरीद कर भी इस्तेमाल करें।
- किशोरियों द्वारा नि:शुल्क सेनेटरी नैपकिन्स की उपलब्धता को एक पुरस्कार के रूप में समझा जाना एवं फलस्वरूप स्कूलों में ड्रापआउट की संख्या में गिरावट लाना।
- किशोरियों में प्रजनन सम्बन्धी बीमारियों एवं संक्रमण में कमी लाना तथा इससे होने वाले बांझपन में कमी लाना।

<u>लक्ष्य समूह:-</u>

निदेशक, बेसिक/माध्यमिक शिक्षा से जनपदवार प्राप्त किशोरियों की संख्या के आधार पर वर्तमान में प्रदेश के समस्त जनपदों के सरकारी विद्यालयों/परिषदीय विद्यालयों (कक्षा 6 से 12 तक) की किशोरियों को गुणवत्ता वाले सेनेटरी नैपकिन्स उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। चूँकि कस्तूरबा गाँधी विद्यालयों में पहले से ही नि:शुल्क सेनेटरी नैपकिन्स का वितरण किया जा रहा है, अत: इन विद्यालयों को इस योजनान्तर्गत नहीं लिया जाना है। सरकारी सहायता प्राप्त तथा अन्य गैर सरकारी विद्यालयों को भी योजनान्तर्गत शामिल नहीं किया जाना है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

सेनेटरी नैपकिन्स की क्रय व्यवस्था:-

योजनान्तर्गत वितरित किये जाने वाले सेनेटरी नैपकिन्स का क्रय जनपदों के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा किया जायेगा। गुणवत्तायुक्त सेनेटरी नैपकिन्स के क्रय हेतु निदेशक (भण्डार), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशालय, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ द्वारा क्रय सम्बन्धी नियमों के अन्तर्गत दर अनुबन्ध कर dghealth.nic.in की बेबसाइट पर डाल दी गयी है। क्रय किये जाने वाले कुल सेनेटरी नैपकिन्स की मात्रा के अधिकतम 10 प्रतिशत तक की आपूर्ति आदेश सी0एम0एस0डी0 द्वारा किये दर अनुबन्ध की दर पर निर्धारित मानकों की पूर्ति की शर्तों के अधीन पंचायत उद्योगों को दिये जा सकते हैं। अवशेष आपूर्ति के आदेश दर अनुबन्धित फर्म/फर्मों को दे दिये जायेंगे। दर अनुबन्ध के सम्बन्ध में यथोचित निर्देश निदेशक (भण्डार), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशालय, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ की ओर से पृथक से निर्गत किये जा रहे हैं।

योजना का क्रियान्वयन:-

- **"किशोरी सुरक्षा योजना"** के लिये जनपद स्तर पर राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के नोडल अधिकारी को ही इस योजना के लिये भी नोडल अधिकारी नामित किया जायेगा।
- **"किशोरी सुरक्षा योजना"** लागू किये जाने का मुख्य दायित्व सम्बन्धित जनपद के **जिलाधिकारी** का होगा, जो स्वास्थ्य विभाग, बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग, पंचायती राज विभाग तथा सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग के अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए योजना को सुचारू रूप से संचालित करेंगे।

➢ **मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्य एवं दायित्व:-**

1. बेसिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश स्तर पर कक्षा 6 से 12 में सरकारी विद्यालयों/परिषदीय विद्यालयों (कक्षा 6 से 12 तक) में पंजीकृत छात्रों की संख्या उपलब्ध करायी गयी है जिसके आधार पर जनपदवार लक्ष्य/धनराशि आवंटित की जा रही है। परन्तु जनपद स्तर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा जिला विद्यालय निरीक्षंक के माध्यम से किशोरियों की प्रमाणित संख्या प्राप्त करेंगे तथा इसके आधार पर सेनेटरी नैपकिन्स का क्रय करेंगे तथा क्रय करने के पश्चात सेनेटरी नैपकिन्स BRC (Block Resource Centre) तक पहुँचायेंगे। उक्त स्थल से बेसिक शिक्षा के अन्तर्गत आने वाले विद्यालयों के नोडल अध्यापक/अध्यापिकाओं द्वारा सेनेटरी नैपकिन्स को स्कूलों तक पहुँचाया जायेगा। माध्यमिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत पात्र विद्यालयों के लिये सेनेटरी नैपकिन्स ब्लाक स्तरीय सी0एच0सी0/पी0एच0सी0 तक मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा पहुँचाया जायेगा तथा वहाँ से विद्यालयों के प्राचार्यों द्वारा प्राप्त कर विद्यालयों में वितरण सुनिश्चित कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2. प्रदेश के समस्त जनपदों में होने वाली मेन्सट्रुअल हाईजीन (माहवारी प्रबन्धन) प्रशिक्षण/कार्यशाला में शिक्षा विभाग से बेसिक शिक्षा अधिकारी, खण्ड शिक्षा अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक एवं विद्यालयों से अध्यापिका/अध्यापक को अनिवार्य रूप से आमंत्रित किया जायेगा।
3. जनपद स्तर पर जिला विद्यालय निरीक्षक एवं बेसिक शिक्षा अधिकारी से प्राप्त होने वाली वितरण सम्बन्धी रिपोर्टों का मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा संकलन कर महानिदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा।
4. राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत आई0ई0सी0 के लिये प्राप्त करायी गयी धनराशि से किशोरी सुरक्षा कार्यक्रम के लिये सभी स्कूल, ग्राम एवं ब्लाक के अस्पतालों में स्कूल जाने वाली किशोरियों के लिये नि:शुल्क सेनेटरी नैपकीन्स की व्यवस्था के विषय पर वाल पेन्टिंग करायी जायेगी। इसका प्रोटोटाइप महानिदेशक, परिवार कल्याण द्वारा शीघ्र ही सम्बन्धित जनपदों को उपलब्ध कराया जायेगा।
5. जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों द्वारा इस योजना में आशाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जायेगी। विद्यालय के नोडल अध्यापिका/अध्यापक महीने में एक दिन (बुधवार/शनिवार छोड़कर) निर्धारित कर लिया जायेगा, जिससे आशा की उपस्थिति में विद्यालयों में सेनेटरी नैपकिन्स का वितरण किया जाय। आशा को सेनेटरी नैपकिन्स के वितरण हेतु निर्धारित दिवस के सम्बन्ध में पूर्व से अवगत करा दिया जाये।
6. वी0एच0एन0डी0 की बैठक में भी आशा एवं ए0एन0एम0 के माध्यम से प्रचार-प्रसार कराया जायेगा, जिससे किशोरियों को जानकारी मिले एवं स्कूलों में किशोरियों की उपस्थिति बढ़े।

➢ **<u>ब्लाक के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के कार्य एवं दायित्व:-</u>**

1. ब्लाक स्तर पर मेन्सट्रुअल हाईजीन (माहवारी प्रबन्धन) प्रशिक्षण/कार्यशाला का आयोजन करायेंगे तथा प्रशिक्षण/कार्यशाला में शिक्षा विभाग से खण्ड शिक्षा अधिकारी एवं विद्यालयों से अध्यापिका/अध्यापक को अनिवार्य रूप से प्रतिभाग कराना सुनिश्चित करायेंगे।
2. ब्लाक रिसोर्स सेन्टर (Block Resource Centre) पर होने वाली बैठक में विद्यालय के अध्यापक/अध्यापिका को एच0ई0ओ0 के माध्यम से माहवारी प्रबन्धन विषय पर प्रशिक्षण प्रदान करायेंगे।

➢ **<u>बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक एवं खण्ड शिक्षा अधिकारी के कार्य एवं दायित्व:-</u>**

1. प्रत्येक स्कूल से एक नोडल अध्यापिका/अध्यापक नामित किया जायेगा। ब्लाक रिसोर्स सेन्टर (Block Resource Centre) पर प्रत्येक स्कूल से नामित एक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

नोड़ल अध्यापक (जिन स्कूलों में महिला अध्यापिका न हो तो एक किशोरी, जिसे स्कूल का मॉनीटर नामित किया गया हो वह अध्यापक के साथ प्रशिक्षण ग्रहण करेगी।) को एच0ई0ओ0 द्वारा माहवारी प्रबन्धन के सम्बन्ध में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। इसी के साथ यह सुनिश्चित किया जायेगा कि जनपद एवं ब्लाक लेवल पर होने वाली MHM योजना की ओरियन्टेशन एवं प्रशिक्षण में प्रत्येक विद्यालय से एक अध्यापक/अध्यापिका प्रतिभाग करें।

2. बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं जिला विद्यालय निरीक्षक (DIOS) का सेनेटरी नैपकिन्स को BRC तथा ब्लॉक स्तरीय सी0एच0सी0/पी0एच0सी0 से उक्तानुसार विद्यालयों तक पहुँचाने का दायित्व होगा।
3. सरकारी विद्यालयों/परिषदीय विद्यालयों में शौचालयों की व्यवस्था सर्व शिक्षा अभियान एवं अन्य योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि से सुनिश्चित करायी जायेगी।
4. स्कूलों में शौचालय साफ व स्वच्छ हो, वहाँ पर हाथ धोने के लिये पानी व साबुन की पूर्ण व्यवस्था हो।
5. स्कूलों में सेनेटरी नैपकिन्स के निस्तारण हेतु ढंके हुये कूड़ेदान की व्यवस्था हो।
6. स्कूलों में सेनेटरी नैपकिन्स को रखने के लिये साफ व सूखा स्थान हो।
7. वितरण रिकार्ड रखने के लिये रजिस्टर आदि की पूर्ण व्यवस्था हो।
8. शिक्षा विभाग में होने वाली बैठकों में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को सम्मिलित किया जायेगा, जिससे इस योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा प्रभावी तौर पर की जा सके।

➢ **<u>जिला पंचायती राज विभाग के कार्य एवं दायित्व:-</u>**

1. योजना के क्रियान्वयन हेतु ग्राम प्रधानों का अपेक्षित सहयोग सुनिश्चित कराया जायेगा।
2. ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण समिति के माध्यम से आवश्यकतानुसार सरकारी विद्यालयों/परिषदीय विद्यालयों के शौचालयों में साफ-सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जायेगी।
3. राज्य वित्त आयोग एवं अन्य योजनाओं के माध्यम से ग्राम सभाओं को हस्तगत धनराशि से आवश्यकतानुसार विद्यालयों में स्थित शौचालयों की मरम्मत/अनुरक्षण की कार्यवाही करायी जायेगी।

➢ **<u>सरकारी विद्यालयों/परिषदीय विद्यालयों के प्राचार्य एवं नामित नोडल अधिकारी के कार्य एवं दायित्व:-</u>**

1. प्रत्येक विद्यालय के नोडल अध्यापिका/अध्यापक का दायित्व होगा कि वह सेनेटरी नैपकिन्स को किशोरियों में निर्धारित मात्रानुसार वितरित करेंगे और साथ ही

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

किशोरियों को माहवारी, व्यक्तिगत स्वच्छता, सेनेटरी नैपकिन्स का समुचित प्रयोग व निस्तारण तथा अन्य स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी प्रदान करेंगे। जिन विद्यालयों में केवल पुरूष नोडल अध्यापक हैं वहॉ वे किशोरियॉ जिन्होंने MHM प्रशिक्षण प्राप्त किया हो, का दायित्व होगा कि विद्यालय की अन्य किशोरियों को माहवारी सम्बन्धी जानकारी दें एवं सेनेटरी नैपकिन्स का वितरण करें। वितरण एवं प्रशिक्षण में आशा की भागीदारी सुनिश्चित करेंगे।

➢ <u>आशा के कार्य एवं दायित्व:-</u>

1. आशा का दायित्व होगा कि निर्धारित दिवस पर वह विद्यालय में आकर सेनेटरी नैपकिन्स वितरित करने में मदद करेंगी।
2. किशोरियों को माहवारी प्रबन्धन के सम्बन्ध में जानकारी प्रदान करेंगी।

<u>जनपद स्तर पर अभिलेख एवं प्रारूप की व्यवस्था:-</u>

सेनेटरी नैपकिन्स के क्रय के पश्चात उनका वितरण 15 दिन के अन्दर ही सुनिश्चित किया जाये तथा प्रत्येक स्तर पर इससे सम्बन्धित अभिलेखों का रख-रखाव अवश्य किया जाये।

- जनपद स्तर पर प्राप्त सेनेटरी नैपकिन्स के स्टॉक को मुख्य चिकित्सा अधिकारी स्तर पर स्टॉक बुक में एन्ट्री करने के पश्चात ही वितरण किया जायेगा।
- स्कूलों में नामित नोडल अध्यापिका/अध्यापक द्वारा विद्यालय में प्राप्त सेनेटरी नैपकिन्स का रिकार्ड रजिस्टर पर अंकित किया जायेगा तथा किशोरियों को बॉटे गये सेनेटरी नैपकिन्स का रिकार्ड एक पृथक रजिस्टर पर रखा जायेगा तथा संकलित रिपोर्ट बेसिक शिक्षा अधिकारी/जिला विद्यालय निरीक्षक को प्रेषित की जायेगी। (संलग्न प्रारूप-1)
- बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं जिला विद्यालय निरीक्षक अपने स्तर पर स्कूलों से प्राप्त रिपोर्ट का संकलन कर जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को उपलब्ध करायेंगे। (संलग्न प्रारूप-2)
- जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं जिला विद्यालय निरीक्षक को उपलब्ध कराये गये सेनेटरी नैपकिन्स के सापेक्ष वितरित रिपोर्ट का संकलन कर महानिदेशालय स्तर पर भेजा जायेगा। (संलग्न प्रारूप-3)
- आगामी वर्षो में नि:शुल्क सेनेटरी नैपकिन्स वितरित किये जाने के लिये विद्यालय के नोडल अध्यापक/अध्यापिका द्वारा डिमाण्ड की फाट बनाकर बेसिक शिक्षा अधिकारी/ जिला विद्यालय निरीक्षक को भेजी जायेगी। बेसिक शिक्षा अधिकारी/जिला विद्यालय निरीक्षक डिमाण्ड की फाट बनाकर जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को प्रेषित करेंगे, तत्पश्चात मुख्य चिकित्सा अधिकारी जनपद स्तर पर सभी ब्लाक से डिमाण्ड

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

की फाट को संकलित कर राज्य स्तर पर परिवार कल्याण महानिदेशालय में उपलब्ध करायेंगे।

<u>योजना का अनुश्रवण:-</u>

जनपद के "किशोरी सुरक्षा योजना" हेतु नामित नोडल अधिकारी द्वारा योजना का नियमित एवं सघन अनुश्रवण जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से सुनिश्चित कराया जायेगा।

<u>संलग्नक:यथोक्त।</u>

भवदीय,

आलोक रंजन

मुख्य सचिव।

<u>संख्या- 58/2015/1393(1)/पॉच-9-2015-9(178)/11, तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रमुख सचिव, वित्त/नियोजन/माध्यमिक शिक्षा/बेसिक शिक्षा/पंचायती राज/सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उ0प्र0शासन।
2- मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0, लखनऊ।
3- निदेशक, पंचायती राज विभाग/सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4- महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।
5- महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
6- निदेशक, बेसिक/माध्यमिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
7- निदेशक, सी0एम0एस0डी0, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।
8- समस्त नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम को इस निर्देश के साथ कि गाइडलाइन की कापियॉ ब्लाक स्तर पर वितरित करने तथा कार्यक्रम में सहयोग प्रदान करना सुनिश्चित करें।
9- चिकित्सा अनुभाग-1/5, उ0प्र0 शासन।
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अरविन्द कुमार)

प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(प्रारूप-1)

किशोरी सुरक्षा योजना (स्कूल हेतु)

जनपद का नाम..... ब्लाक का नाम..... स्कूल का नाम..... नोडल अध्यापक का नाम व मो0 न0.....

वर्ष-2015-16 माह.....

क्र0सं0	कक्षा	किशोरियों के नाम	कक्षा अध्यापक का नाम	कुल प्राप्त किये गये सेनेटरी नैपकिन्स का नाम	वितरित किये गये सेनेटरी नैपकिन्स के पैकेट की संख्या	अभ्युक्ति

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(प्रारूप-2)

किशोरी सुरक्षा योजना (बेसिक शिक्षा अधिकारी/जिला विद्यालय निरीक्षक हेतु)

जनपद का नाम.....ब्लाक का नाम.....बेसिक शिक्षा अधिकारी/जिला विद्यालय निरीक्षक का नाम व मो0 न0.....

वर्ष-2015-16 माह.....

क्र0सं0	स्कूल का नाम	स्कूल में किशोरियों की कुल संख्या	स्कूल के नोडल अध्यापिका/अध्यापक का नाम व मोबाइल न0	स्कूलों में कुल प्राप्त किये गये सेनसेटरी नैपकिन्स के पैकेटों की संख्या	स्कूलों में वितरित किये गये सेनेटरी नैपकिन्स के पैकेट की संख्या	अभ्युक्ति

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(प्रारूप-3)

किशोरी सुरक्षा योजना (मुख्य चिकित्सा अधिकारी हेतु)

जनपद का नाम..... ब्लाक का नाम..... मुख्य चिकित्सा अधिकारी का नाम व मो0 न0.....

वर्ष-2015-16 माह..... .....

क्र0सं0	ब्लाक का नाम	ब्लाक में कुल स्कूलों की संख्या	ब्लाक में कुल किशोरियों की कुल संख्या	मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा क्रय किये गये सेने0नैप0 के पैकेटों की संख्या	स्कूलों में कुल प्राप्त किये गये सेनेटरी नैपकिन्स के पैकेटों की संख्या	स्कूलों में किशोरियों को वितरित किये गये सैनेटरी नैपकिन्स के पैकेट की संख्या
1	2	3	4	5	6	7

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।